न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 01/2024

अपीलान्ट्स	**बनाम**	**रेस्पोडेंट्स**
श्यामाराम पुत्र शिवराम जाति विश्नोई, निवासी गोयलों की ढाणी नांदडा कलां बनाड तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर		1. मुनाराम पुत्र छताराम जाति जाट निवासी हुणगांव कलां हाल मुकाम भाटों की ढाणी रामपुरिया भाटियान तहसील बिलाडा जिला जोधपुर 2. सरपंच,ग्राम पंचायत हुणगांव कलां तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 839 जो सरपंच ग्राम पचांयत हुणगावं कलां द्वारा दिनांक 05.02.2024 को अस्वीकार किया गया।

1. अपीलान्ट्स की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता उपस्थित।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 स्वयं उपस्थित।
3. रेस्पोडेण्ट सं. 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

:: निर्णय :: **दिनांक** 17/09/24

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम हुणगांव कलां तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नंबर 130 रकबा 2.7991 हैक्टयर स्थित है। यह भूमि रेस्पोडेण्ट सं. 1 मुनाराम की खातेदारी की है। रेस्पोडेण्ट सं. 1 मुनाराम ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 130 रकबा 2.7991 हैक्टयर में से 1.6180 हैक्टयर यानि 10 बीघा दिनांक 11.08.2023 को जरिये रजिस्ट्री अपीलाण्ट को बैचान कर दी एवं बैची गई भूमि का कब्जा अपीलाण्ट को सौप दिया। रजिस्टर्ड बैचान के आधार पर पटवारी हल्का ने दिनांक 31.01.2024 को नामान्तरकरण सं. 839 खसरा नंबर 130 रकबा 1.6180 हैक्टयर का अपीलाण्ट के नाम से भरा, जिसकी दिनांक 01.02.2024 को भू अभिलेख निरीक्षक कला ने जांच कर दस्तावेज का अंकन सही पाया एवं नामान्तरकरण स्वीकृति के लिये ग्राम पंचायत के समक्ष पेश किया, जिसको ग्राम पंचायत हुणगांव कलां ने बीना अपीलाण्ट को नोटिस एवं सुनवायी का अवसर दिये दिनांक 05.02.2024 को अस्वीकृत कर दिया। ग्राम पंचायत हुणगांव कलां के नामान्तरकरण सं. 839 के अस्वीकृति के आदेश दिनांक 05.02.2024 के विरूद्ध यह अपील निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है। सरपंच ग्राम पंचायत हुणगावं कला द्वारा नामान्तरकरण सं. 839 अस्वीकृत करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की गयी है। ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण सं. 839 अस्वीकृत करने से पहले अपीलाण्ट को कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया। अतः अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। सरपंच ग्राम

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

पंचायत द्वारा अपीलाण्ट की आई.डी. दस्तावेज को आधार मानकर रजिस्टर्ड बैचान के आधार पर भरे गये नामान्तरकरण को अस्वीकृत करने में विधिक त्रुटि की गयी है। सरपंच ग्राम पंचायत को आई.डी.(दस्तावेज) के अभाव में नामान्तरकरण निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है। रजिस्टर्ड बैचान के आधार पर पटवारी हल्का ने दिनांक 31.01.2024 को नामान्तरकरण सं. 839 अपीलाण्ट के नाम से भरा, जिसकी दिनांक 01.02.2024 को भू अभिलेख निरीक्षक कलां ने जांच कर दस्तावेज का अंकन सही पाया एवं नामान्तरकण स्वीकृति के लिये सही तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है, लेकिन सरपंच ग्राम पंचायत ने राजनैतिक दुर्भावना से अपीलाण्ट का नामान्तरकरण निरस्त करने में विधिक त्रुटि की गयी है। ग्राम पंचायत को रजिस्टर्ड बैचान के आधार पर भरे गये नामान्तरकरण को अस्वीकृत करने का कोई अधिकार नहीं था

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत हुणगांव कलां द्वारा दिनांक 05.02.2024 को नामा. सं. 839 अस्वीकृत करने का आदेश निरस्त करने का आदेश फरमावें एवं रजिस्टर्ड बैचान दिनांक 11.08.2023 के अनुसार खसरा नंबर 130 रकबा 2.7991 हैक्टयर में से 1.6180 हैक्टयर का नामान्तरकरण अपीलाण्ट के नाम से स्वीकृत करने का आदेश तहसीलदार बिलाडा को फरमाया जावें।

अपीलाण्टस ने अपील के साथ धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने भूमि खसरा नंबर 130 रकबा 2.7991 हैक्टयर में से रेस्पोडेण्ट की भूमि 1.6180 हैक्टयर को जरिये रजिस्ट्री दिनांक 11.08.2023 को खरीद की एवं रजिस्ट्री की फोटो कॉपी पटवारी हल्का को नामान्तरकरण भरने के लिये दी जिस पर पटवारी हल्का ने दिनांक 31.01.2024 को नामान्तरकरण सं. 839 भरा, जिसको ग्राम पंचायत ने बीना अपीलाण्ट को नोटिस एवं सूचना दिये अस्वीकृत कर दिया। अपीलाण्ट को ग्रम पंचायत द्वारा उसके पक्ष में पटवारी हल्का द्वारा भरे गये नामान्तरकरण सं. 839 को अस्वीकृत करने की जानकरी दिनांक 26.03.2024 को हुई तो उसने पटवारी हल्का से दिनांक 26.03.2024 को नामान्तरकरण सं. 839 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की तब अपीलाण्ट को ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05.02.2024 को नामान्तरकरण अस्वीकृत करने की पूर्ण जानकारी हुई। अतः ज़ानकारी की तिथि से यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अपीलाण्ट द्वारा नामान्तरकरण सं. 839 अस्वीकृति के आदेश के विरूद्ध की गयी अपील को अन्दर म्याद शुमार करने का आदेश फरमावें।

अपीलान्ट की अपील को दर्ज रजिस्टर किया गया, रेस्पोडेन्टस को नोटिस रजिस्टर्ड ए.डी. द्वारा जारी किये गये। रेस्पोडेण्ट सं. 1 व 2 के नोटिस बाद तामिल पेश हुए, जिन्हें शामिल मिसल किया गया। रेस्पोडेण्टस को उपस्थिति हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये, बार–बार आवाज दिलवाई गयी लेकिन रेस्पोडेण्ट सं. 2 उपस्थित नही होने से अप्रार्थी सं. 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। रेस्पोडेण्ट सं. 1 स्वयं उपस्थित होकर अपना जवाब पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उपरोक्त अनवान की अपील में अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट के विरूद्ध राजस्व अपील को पेश किया है जो अपील सही होने से स्वीकार है रेस्पोडेण्ट ने अपीलाण्ट को भूमि का बैचान किया है तथा रेस्पोडेण्ट को कब्जा सुपुर्द कर दिया है। वर्तमान में अपीलाण्ट का कब्जा व काश्त भूमि पर चल रहा है। सरपंच ग्राम पंचायत हुणगांव कलां द्वारा दिनांक 05.02.2024 का म्यूटेशन गलत

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

रूप से खारिज किया है। अतः जवाब अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावें तथा अपीलाण्ट का बैचाननामा के आधार पर राजस्व रेकर्ड में म्यूटेशन स्वीकृत करने का आदेश फरमावें।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया। जिसका रेस्पोडेण्ट्स द्वारा किसी प्रकार का खण्डन नही किया; इस कारण अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार कर अपील का गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना उचित है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलाण्टस द्वारा प्रस्तुत अपील म्यूटेशन सं. 839 ग्राम हुणगांव कलां को जो कि रेस्पोडेण्ट 2 द्वारा अस्वीकृत किया गया के विरूद्ध पेश की, उक्त म्यूटेशन रेस्पोडेण्ट सं. 2 द्वारा खातेदार मुनाराम पुंत्र छताराम का जरिये बैचाननामा के आधार पर अस्वीकार किया गया। जिसमें अपीलाण्ट्स के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड बैचाननामा के जरिये बैचान की गयी भूमि खसरा नम्बर 130 रकबा 2.7991 हैक्टयर में से 1.6180 हैक्टयर को सरपंच ग्राम पंचायत हुणगावं कलां द्वारा प्रार्थी द्वारा दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के अभाव में नामान्तरकरण सं. 839 को अस्वीकृत कर दिया गया। इसलिए रेस्पोडेण्ट संख्या 2 द्वारा अस्वीकृत आलौच्य म्यूटेशन संख्या 839 दिनांक 05.02.2024 अस्वीकृत आदेश को निरस्त किया जाना उचित है।

अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर रेस्पोडेण्ट संख्या 2 द्वारा अस्वीकृत म्यूटेशन संख्या 839 दिनांक 05.02.2024 ग्राम हुणगांव कलां के अस्वीकृत आदेश को निरस्त किया जाता है व तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो ग्राम हुणगावं कलां तहसील बिलाडा की भूमि खसरा नम्बर 130 रकबा 1.6180 हैक्टयर के सम्बंध में रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 11.08.2023 के अनुसार बाद जॉच अपीलाण्ट्स के नाम दर्ज कर नामान्तरकरण स्वीकृत कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 17/09/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा